रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-780/2017/2383/22-2-2017-17(218)/2010

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी रामकृपाल (बन्दी संख्या-34142) पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, निवासी व थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-296/1976** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 323/149** के अधीन **दिनांक 30.08.1977** को **मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया उक्त दण्ड को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा धारा-302/149 एवं 323/149 से धारा 302/34 एवं 323/34 में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-780/2017/2383(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in